



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

30 पौष 1947 (श10)

(सं० पटना 70) पटना, मंगलवार, 20 जनवरी 2026

श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग

अधिसूचना

15 जनवरी 2026

सं० एसीस-01/नि०-25/2014-59—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल "बिहार कर्मचारी राज्य बीमा योजना भेषजज्ञ (फर्मासिस्ट) (भर्ती, प्रोन्नति एवं सेवाशर्त) संवर्ग नियमावली, 2016" में संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं—

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ।—

- (1) यह नियमावली "बिहार कर्मचारी राज्य बीमा योजना भेषजज्ञ (फर्मासिस्ट) (भर्ती, प्रोन्नति एवं सेवाशर्त) संवर्ग (संशोधन) नियमावली, 2026" कही जा सकेगी।
- (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।
- (3) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगा।

2. बिहार कर्मचारी राज्य बीमा योजना भेषजज्ञ (फर्मासिस्ट) (भर्ती, प्रोन्नति एवं सेवाशर्त) संवर्ग नियमावली 2016 के नियम-2 (v) का प्रतिस्थापन।— उक्त नियमावली के नियम-2 (v) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा—

"(v) "आयोग" से अभिप्रेत है "बिहार तकनीकी सेवा आयोग";"

3. बिहार कर्मचारी राज्य बीमा योजना भेषजज्ञ (फर्मासिस्ट) (भर्ती, प्रोन्नति एवं सेवाशर्त) संवर्ग नियमावली 2016 के नियम-4 का संशोधन।— उक्त नियमावली के नियम-4 को निम्नवत प्रतिस्थापित किया जाएगा—

"4. संवर्ग का पदसोपान।— इस संवर्ग की विभिन्न कोटियों एवं पदों के सोपान परिशिष्ट-1 के अनुसार होंगे। संवर्ग के पदों पर इस नियमावली के प्रवृत्त होने के पूर्व से नियमित रूप से नियुक्त एवं कार्यरत कर्मी इस संवर्ग में स्वतः शामिल समझे जायेंगे।"

4. बिहार कर्मचारी राज्य बीमा योजना भेषजज्ञ (फर्मासिस्ट) (भर्ती, प्रोन्नति एवं सेवाशर्त) संवर्ग नियमावली 2016 के नियम-6 का प्रतिस्थापन।— उक्त नियमावली के नियम-6 को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा—

"6. अर्हताएँ।— इस संवर्ग में नियुक्ति के लिए अर्हताएँ स्वास्थ्य विभाग के "बिहार फर्मासिस्ट संवर्ग नियमावली, 2014 (समय-समय पर यथासंशोधित)" में फर्मासिस्ट के पद पर नियुक्ति हेतु निर्धारित अर्हताएँ के समरूप होंगी।

5. बिहार कर्मचारी राज्य बीमा योजना भेषजज्ञ (फर्मासिस्ट) (भर्ती, प्रोन्नति एवं सेवाशर्त) संवर्ग नियमावली 2016 के नियम-7 का प्रतिस्थापन।— उक्त नियमावली के नियम-7 को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा—

"7. भर्ती की प्रक्रिया।— इस संवर्ग में भर्ती की प्रक्रिया स्वास्थ्य विभाग के "बिहार फर्मासिस्ट संवर्ग नियमावली, 2014 (समय-समय पर यथासंशोधित)" में फर्मासिस्ट के पद पर नियुक्ति हेतु निर्धारित प्रक्रिया के समरूप होगी।

6. बिहार कर्मचारी राज्य बीमा योजना भेषजज्ञ (फर्मासिस्ट) (भर्ती, प्रोन्नति एवं सेवाशर्त) संवर्ग नियमावली, 2016 के नियम-8 का प्रतिस्थापन।— उक्त नियमावली के नियम-8 को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा—

"8. परिवीक्षा अवधि।— नियुक्ति के उपरान्त अभ्यर्थी परिवीक्षाधीन रहेंगे। परिवीक्षा अवधि एक वर्ष की होगी। परिवीक्षा अवधि में सेवा संतोषजनक नहीं पाये जाने पर अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से इसे एक और वर्ष के लिए विस्तारित किया जा सकेगा। यदि विस्तारित अवधि में भी सेवा संतोषजनक नहीं पायी जाय तो नियुक्ति प्राधिकार ऐसे भेषजज्ञ (फर्मासिस्ट) को सेवामुक्त कर सकेगा।"

7. बिहार कर्मचारी राज्य बीमा योजना भेषजज्ञ (फर्मासिस्ट) (भर्ती, प्रोन्नति एवं सेवाशर्त) संवर्ग नियमावली, 2016 के परिशिष्ट-1 का प्रतिस्थापन।— उक्त नियमावली के परिशिष्ट-1 को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा:—

"परिशिष्ट - 1"

[नियम 2 (viii), 4, 12 द्रष्टव्य]

बिहार फर्मासिस्ट संवर्ग का पदसोपान, अर्हताएँ, आदि

क्रमांक	कोटि	पदनाम	सीधी भर्ती या प्रोन्नति	आवश्यक अर्हताएँ	अभ्युक्ति
1.	मूल कोटि	फर्मासिस्ट (अराजपत्रित)	सीधी भर्ती द्वारा	(i) इंटरमीडियेट / 10+2 (विज्ञान) में उत्तीर्णता। (ii) डिप्लोमा इन फार्मेसी के सभी पार्ट (पार्ट-I, II एवं III) में उत्तीर्णता। (iii) बिहार फार्मेसी काउन्सिल से निबंधित होना आवश्यक होगा। [नोट— डी० फार्मा उत्तीर्ण के साथ बी० फार्मा एवं एम० फार्मा उत्तीर्ण भी आवेदन कर सकेंगे।]	
2.	प्रथम सोपान	वरीय फर्मासिस्ट (अराजपत्रित)	प्रोन्नति द्वारा	—	
3.	द्वितीय सोपान	वरीय मुख्य फर्मासिस्ट (अराजपत्रित)	तथैव	—	

नोट— इस संवर्ग के सभी कोटियों का कुल स्वीकृत बल तथा वेतनमान/वेतन स्तर वही होगा, जैसा सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित किया जायेगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
राजीव रंजन,
सरकार के संयुक्त सचिव।

15 जनवरी 2026

सं० एसीस-01/नि०-25/2014-59, सं० एसीस-01/नि०-25/2014-60 का अंग्रेजी भाषा में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के (खण्ड) 3 के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
राजीव रंजन,
सरकार के संयुक्त सचिव।

The 15th January 2026

No. ESIS-01/NI-25/2014-59--In exercise of the power conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Bihar is pleased to make the following Rules to amend the Bihar Employees State Insurance Scheme Pharmacist (Recruitment, Promotion and Service Condition) Cadre Rules, 2016.

1. Short title, extent and commencement:-

- (1) These 'Rules' may be called the "**Bihar Employees State Insurance Scheme Pharmacist (Recruitment, Promotion and Service Condition) Cadre (Amendment) Rules, 2026**"
- (2) It Shall extend to whole of the State of Bihar.
- (3) It shall come into force from the date of its publication in the official Gazette.

2. Substitution of Rule-2 (v) of the Bihar Employees State Insurance Scheme Pharmacist (Recruitment, Promotion and Service Condition) Cadre Rules, 2016- Rule 2(v) of the said Rules shall be substituted by the following:-

"(V) 'Commission' means the Bihar Technical Service Commission;"

3. Substitution of Rule-4 of the Bihar Employees State Insurance Scheme Pharmacist (Recruitment, Promotion and Service Condition) Cadre Rules, 2016- Rule-4 of the said rules shall be substituted by the following:-

"4. Hierarchy posts of cadre.- The hierarchy of various categories and posts of this cadre will be as per Appendix-1. The employees who were regularly appointed and working on the posts of the cadre before the enforcement of these rules will be considered automatically included in this cadre."

4. Substitution of Rule-6 of the Bihar Employees State Insurance Scheme Pharmacist (Recruitment, Promotion and Service Condition) Cadre Rules, 2016- Rule-6 of the said rules shall be substituted by the following:-

"6. Qualifications- The qualifications for appointment in this cadre shall be the same as in the "Bihar Pharmacist Cadre Rules, 2014 (as amended from time to time) under the control of the Health Department".

5. Substitution of Rule-7 of the Bihar Employees State Insurance Scheme Pharmacist (Recruitment, Promotion and Service Condition) Cadre Rules, 2016- Rule-7 of the said rules shall be substituted by the following:-

"7. Procedure of Recruitment- The procedure of recruitment process shall be the same as procedure prescribed in Bihar Pharmacist Cadre Rules 2014 (as amended from time to time) under the control of the Health Department."

6. Substitution of Rule-8 of the Bihar Employees State Insurance Scheme Pharmacist (Recruitment, Promotion and Service Condition) Cadre Rules, 2016- Rule-8 of the said rules shall be substituted by the following:-

"8. Probation period.- After appointment, the candidates will be on probation. The probation period will be of one year. If the service is not found satisfactory during the probation period, it may be extended for one more year for reasons to be recorded. If the service is not found satisfactory

even in the extended period, the appointing authority may discharge such pharmacist from service."

7. Substitution of Appendix-1 of the Bihar Employees State Insurance Scheme Pharmacist (Recruitment, Promotion and Service Condition) Cadre Rules, 2016.-Appendix-I of the said rules shall be substituted by the following:-

"Appendix - 1"

[See Rule 2 (viii), 4, 12]

Hierarchy, Qualifications, etc. of Bihar Pharmacist Cadre

S. No.	Category	Designation	Direct Recruitment or Promotion	Essential Qualification	Remarks
1.	Basic Category	Pharmacist (Non-Gazetted)	By Direct Recruitment	(i) Passed Intermediate/10+2 (Science). (ii) Passed all parts of Diploma in Pharmacy (Part-I, II and III). (iii) It will be essential to be registered with Bihar Pharmacy Council. [Note- B. Pharma and M. Pharma passed (along with D. Pharma passed) can also apply.]	
2.	First ladder for promotion	Senior Pharmacist (Non-Gazetted)	By Promotion	—	
3.	Second ladder for promotion	Senior Chief Pharmacist (Non-Gazetted)	By Promotion	—	

Note- The total sanctioned strength and pay scale/pay level of all categories of this cadre will be the same as determined by the Government from time to time.

**By the order of the Governor of Bihar,
RAJEEV RANJAN**

Joint Secretary to the Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित ।

बिहार गजट (असाधारण) 70-571+50-डी0टी0पी0 ।

Website: <https://egazette.bihar.gov.in>